विधानसभा प्रश्न/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

क्रमांक प. 9 (4) ( )वि.प्र.सं.1265/छात्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./11/ 65701-65005 जयपुर, दिनांक 26-8-11

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
5. प्राचार्य, राजकीय .... कॉलेज, ..., जिला ....
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक ....
7. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज, ...
8. प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक/ महिला पोलीटेक्निक कॉलेज, ...
9. प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, ...
10. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...

विषय :- विधान सभा के सप्तम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 1265 /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री अभिषेक मटोरिया (8) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधान सभा के सप्तम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 1265/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री अभिषेक मटोरिया (8) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर मय पूरक सूचना के साथ 3 दिवस में (निर्धारित प्रारुप) भिजवाने की व्यवस्था करावें।

1. राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति की कितनी राशि फरवरी, 2010 से अब तक उपलब्ध करायी गई एवं कुल कितनी राशि वितरित की गई? कुल राशि एवं लाभान्वितों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उक्त अवधि में कितनी छात्रवृति वितरित नहीं की गई व छात्रवृति वितरित नहीं होने के क्या कारण रहे तथा भविष्य में वितरण में विलम्ब नहीं हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नोट : बिन्दु संख्या 1व 2 का प्रतिउत्तर संलग्न प्रारूप अ व ब में भी भिजवायें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

क्रमांक प. 9 (4) ( )वि.प्र.सं.1265/छात्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/65705-65005 जयपुर, दिनांक 26-8-11

प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारियों को भेजकर लेख है कि उक्त प्रश्न को आपके जिले के सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं/ विभागों को भिजवाते हुए उक्त प्रश्न का प्रतिउत्तर 3 दिवस में संकलित कर विशेष वाहक के साथ निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सहायक निदेशक (शिक्षा)

बिन्दु संख्या 1 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'अ'

नाम जिला	छात्रवृति का प्रकार	फरवरी 2010 से मार्च 2010					अप्रेल 2010 से मार्च 2011			अप्रेल 2011 से जुलाई 2011 तक		
		माह फरवरी 2010 में उपलब्ध बजट राशि	महा फरवरी 10 व मार्च 2010 में आवंटित राशि	माह फरवरी -मार्च 2010 में उपलब्ध कुल बजट	वितरित की गई राश	लाभान्वितों की संख्या	आवंटित राशि	वितरित की गई राश	लाभान्वितों की संख्या	आवंटित राशि	वितरित की गई राश	लाभान्वितों की संख्या
	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना											
	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना											
	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना											
	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना											
	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना											
	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना											
	अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति											

बिन्दु संख्या 2 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'ब'

छात्रवृति का प्रकार	फरवरी 2010 से मार्च 2010			अप्रेल 2010 से मार्च 2011			अप्रेल 2011 से जुलाई 2011 तक		
	बकाया आवेदकों की संख्या	वितरित न की गई छात्रवृति की राशि	वितरित न किये जाने का कारण	बकाया आवेदकों की संख्या	वितरित न की गई छात्रवृति की राशि	वितरित न किये जाने का कारण	बकाया आवेदकों की संख्या	वितरित न की गई छात्रवृति की राशि	वितरित न किये जाने का कारण
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना									
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना									
अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना									
अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना									
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना									
अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना									
अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति									

विधानसभा प्रश्न/अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

क्रमांक प. 9 (4) ( )वि.प्र.सं.779/छात्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./11/63181-350 जयपुर, दिनांक 19-8-11

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
5. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. प्राचार्य, राजकीय .... कॉलेज, ... जिला ....
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक ....
8. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज, ...
9. प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक/ महिला पोलीटेक्निक कॉलेज, ...
10. प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, ...
11. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...

विषय :- विधान सभा के सप्तम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 779 /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री पेमाराम (93) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना भिजवाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधान सभा के सप्तम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 779/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री पेमाराम (93) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर मय पूरक सूचना के साथ 3 दिवस में (निर्धारित प्रारूप) भिजवाने की व्यवस्था करावें।

1. क्या यह सही है कि जिला सीकर सहित राज्य में अध्ययनरत छात्रों को अभी तक गत वर्ष की छात्रवृति का भुगतान नही हुआ यदि हां तो किस किस जिले में कितनी कितनी राशि का भुगतान देना बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।
2. सरकार द्वारा भविष्य में समय पर छात्रवृति का भुगतान करने के लिये क्या योजना बनाई गई है?
3. उक्त बकाया छात्रवृति का भुगतान आज तक नहीं करने के लिये कौन दोषी है तथा दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
4. अब उक्त बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

नोट : बिन्दु संख्या 1,3 व 4 का प्रतिउत्तर संलग्न प्रारूप अ में भी भिजवायें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

क्रमांक प. 9 (4) ( )वि.प्र.सं.668/छात्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/63351-80 जयपुर, दिनांक 19-8-11

प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारियों को भेजकर लेख है कि उक्त प्रश्न को आपके जिले के सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं/ विभागों को भिजवाते हुए उक्त प्रश्न का प्रतिउत्तर 3 दिवस में संकलित कर विशेष वाहक के साथ निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

सहायक निदेशक (शिक्षा)

D:\MyDocs\7 VS\779.doc

बिन्दु संख्या 1 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'अ'

नाम जिला	छात्रवृति का प्रकार	2010-11						
		प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की संख्या	बकाया आवेदन पत्रों की राशि	बकाया का कारण	बकाया रहने के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी का नाम	बकाया आवेदनों को कब तक भुगतान कर दिया जावेगा।
	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना							
	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना							
	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना							
	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना							
	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना							
	अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना							
	अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति							
	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति							
	अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृति							
	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृति							
	अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति							

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 9 (4)विसभा/पिछड़े वर्ग/छात्र./11/ 63381-600 जयपुर, दिनांक : 19-8-11

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
3. निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
4. प्राचार्य, राजकीय .... कॉलेज, ..., जिला ....
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक ....
6. प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज, ...
7. प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक/ महिला पोलीटेक्निक कॉलेज, ...
8. प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज, ...
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...

विषय : सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के बीपीएल छात्रों को दी जा रही उत्तर मैट्रिक छात्रवृति की सूचना भिजवाये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विधान सभा की पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति 2011-12 के बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्नानुसार बिन्दुओं की सूचना 3 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

1. क्या पिछड़े वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दी जाती है उसके क्या मापदण्ड निर्धारित किये हुये है।
2. क्या यह सही हे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति जी.एन.एम. व नर्सिंग पाठ्यक्रम में बीपीएल परिवारों को/ कम आय वाले गैर बी.पी.एल. को छात्रवृति दी जाती है। गत दो वर्षो से माह जून 2011 तक कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृति दी गई ?
3. क्या उक्त योजनान्तर्गत केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत विगत वर्षो में सभी बीपीएल अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उक्त विषयों में अध्ययरत सभी को छात्रवृति दे दी गई है।
4. क्या बी.पी.एल के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उक्त आलोच्य वर्षो की अवधि में छात्रवृति से वंचित रहे है उनके क्या-क्या कारण रहे? गत वर्षो की नाम मय एव संस्थावार सूची प्रस्तुत करें।
5. उक्त वर्षो में बी.पी.एल के अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दी गई तथा कितनों को नहीं मिल पाई है का कारण सहित गत दो वर्षो का जिलेवार विवरण प्रस्तुत करें।
6. छात्रवृति के लिये राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षो में कितना बजट आवंटित किया गया है जिसमें राज्य कमिटेड लाईबिलीटीज से ऊपर का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, वह कितनी भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को राशि प्राप्त हुई कितनी कितनी राशि किन-किन छात्रों में बांटी गई दो वर्षो का जिलेवार विवरण प्रस्तुत करें।

नोट : उक्त बिन्दुओं की सूचना संलग्न प्रारूपों में भी भिजवायें।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावस)

क्रमांकः एफ 9 (4)विसभा/पिछड़े वर्ग/छात्र./11/ 63601-33 जयपुर, दिनांक : 19-8-11

प्रतिलिपि : सभी जिलाधिकारियों को भेजकर लेख है कि आपके जिले के सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं/सम्बधित विभागों को प्रति भिजवाकर उक्त सूचना निर्धारित प्रारुप में तैयार कर 3 दिवस में भिजवाने का श्रम करावें।

सहायक निदेशक (शिक्षा)

D:\MyDocs\7 VSQ\OBC 11-12.doc

बिन्दु संख्या 2 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'अ'(जीएनएम/ नर्सिंग कोर्स करने वाले कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृति दी गई की सूचना दी जानी है।)

	2009-10			2010-11			1 अप्रेल 2011 से जून 2011 तक		
	कोर्स का नाम	उक्त कोर्स वाले कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृति दी गई		कोर्स का नाम	उक्त कोर्स वाले कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृति दी गई		कोर्स का नाम	उक्त कोर्स वाले कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृति दी गई	
		उक्त मे से बीपीएल छात्र-छात्राओं की संख्या	गैर बीपीएल छात्र-छात्राओं की संख्या		उक्त मे से बीपीएल छात्र-छात्राओं की संख्या	गैर बीपीएल छात्र-छात्राओं की संख्या		उक्त मे से बीपीएल छात्र-छात्राओं की संख्या	गैर बीपीएल छात्र-छात्राओं की संख्या
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति									

बिन्दु संख्या 3 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'ब' (जीएनएम/ नर्सिंग कोर्स करने वाले कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृति दी गई की सूचना दी जानी है।)

	2009-10					2010-11					1 अप्रेल 2011 से जून 2011 तक				
	कोर्स का नाम	नर्सिंग पाठ्क्रम के कितने बीपीएल छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए	उनमें से कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृति का वितरण किया गया	बीपीएल के कितने छात्र-छात्राओं की छात्रवृति बकाया है	बकाया का कारण	कोर्स का नाम	नर्सिंग पाठ्क्रम के कितने बीपीएल छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए	उनमें से कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृति का वितरण किया गया	बीपीएल के कितने छात्र-छात्राओं की छात्रवृति बकाया है	बकाया का कारण	कोर्स का नाम	नर्सिंग पाठ्क्रम के कितने बीपीएल छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए	उनमें से कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृति का वितरण किया गया	बीपीएल के कितने छात्र-छात्राओं की छात्रवृति बकाया है	बकाया का कारण
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति															

बिन्दु संख्या 4 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'स' (बीपीएल के अध्ययनरत छात्र जो छात्रवृति से वंचित रहे है कि सूचना दी जावें)

	2009-10				2010-11				1 अप्रेल 2011 से जून 2011 तक			
	शिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय का नाम	बीपीएल छात्र/छात्रा का नाम जो छात्रवृति से वंचित रहा	कोर्स का नाम	छात्रवृति से वंचित रहने का कारण	शिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय का नाम	बीपीएल छात्र/छात्रा का नाम जो छात्रवृति से वंचित रहा	कोर्स का नाम	छात्रवृति से वंचित रहने का कारण	शिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय का नाम	बीपीएल छात्र/छात्रा का नाम जो छात्रवृति से वंचित रहा	कोर्स का नाम	छात्रवृति से वंचित रहने का कारण
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति												

बिन्दु संख्या 5 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'द' (बीपीएल के अलावा अन्य पिछर्डे वर्ग के अध्ययनरत निर्धन छात्र/छात्राओं को दी गई उत्तर मैट्रिक छात्रवृति की सूचना दी जावें)

	2009-10				2010-11				1 अप्रेल 2011 से जून 2011 तक			
	बीपीएल के अलावा अन्य अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या जिनके छात्रवृति हेत आवेदन पत्र प्राप्त हुए	उनमें से कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृति का वितरण किया गया	कितने छात्र-छात्राओ की छात्रवृति बकाया है	छात्रवृति से वंचित रहने का कारण	बीपीएल के अलावा अन्य अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या जिनके छात्रवृति हेत आवेदन पत्र प्राप्त हुए	उनमें से कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृति का वितरण किया गया	कितने छात्र-छात्राओ की छात्रवृति बकाया है	छात्रवृति से वंचित रहने का कारण	बीपीएल के अलावा अन्य अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या जिनके छात्रवृति हेत आवेदन पत्र प्राप्त हुए	उनमें से कितने छात्र छात्राओं को छात्रवृति का वितरण किया गया	कितने छात्र-छात्राओ की छात्रवृति बकाया है	छात्रवृति से वंचित रहने का कारण
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति												

बिन्दु संख्या 6 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'य' (अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत आवंटित बजट व किस-किस छात्र को छात्रवृति की राशि वितरित की गई की सूचना दी जानी हैं)

	2009-10						2010-11					
	आवंटित बजट			महाविद्यालय का नाम	किन-किन छात्र-छात्रा को छात्रवृति स्वीकृत की गई का नाम	स्वीकृत छात्रवृति की राशि	आवंटित बजट			महाविद्यालय का नाम	किन-किन छात्र-छात्रा को छात्रवृति स्वीकृत की गई	स्वीकृत छात्रवृति की राशि
	प्लान	सीएसएस	कुल योग				प्लान	सीएसएस	कुल योग			
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति												

विधानसभा प्रश्न/अत्यावश्यक
(अविलम्बनीय)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

क्रमांक प. 9 (4) ( )अल्प सत्र/वि.प्र.सं.23 (1574)/छात्र./सा.न्या.एवं.अ.वि./10/ 60885-918 जयपुर, दिनांक 16/08/2011

उपनिदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
....

विषय :- विधान सभा अल्पसत्र प्रश्न संख्या 23 (1574) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री रमेश चन्द्र मीणा (35) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न की सूचना भिजवाने के क्रम में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक एफ 9 (4)विसप्र.23(1574)/छात्र/सान्याअवि/10/70640-890 दिनांक 21.12.10 एवं 60146 दिनांक 12.8.11

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत विधान सभा अल्पसत्र प्रश्न संख्या 23 (1574) / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा श्री रमेश चन्द्र मीणा (35) सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर मय पूरक सूचना के साथ दो दिवस में विशेषवाहक के साथ बिन्दुवार भिजवाने हेतु लिखा गया था लेकिन आज दिनांक तक प्रश्न का प्रतिउत्तर अप्राप्त है। अतः आप अपने जिले के सम्बंधित राजकीय शिक्षण संस्थाओं/ विभागों से प्रश्न का प्रतिउत्तर (निर्धारित प्रारूप में) संकलित कर विशेषवाहक द्वारा निदेशालय को दो दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

1. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को पिछले 4 वर्षो में किस किस योजना के तहत कितनी कितनी छात्रवृत्ति प्रति छात्र एवं कुल छात्रवृत्ति की कितनी राशि इनमें से प्रत्येक वर्ग को वितरित की गई ?
2. कम्प्यूटर शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं एवं अनुदानित संस्थाओं को जिला करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा एवं जयपुर में किस किस संस्था के माध्यम से कितनी कितनी छात्रवृत्ति दी गई एवं सवाई माधोपुर तथा करौली जिलों में इस हेतु किन किन छात्रों को कितनी कितनी छात्रवृत्ति पिछले 4 वर्षो में दी गई ?
3. जिला करौली सवाईमाधोपुर टोंक एवं दौसा में किस किस संस्था के माध्यम से कितने कितने रूपये प्रति छात्र दिये गये एवं कुल कितनी राशि प्रति वर्ष प्रत्येक संस्था के माध्यम से वितरित की गई ?
4. जिला करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं दौसा में स्थित संस्थाओं एवं इन जिलों के अन्य राज्यों में अध्ययनरत छात्रों के कितने कितने छात्रवृत्ति के मामले संस्थानुसार एवं जिलानुसार लम्बित हैं ?
5. अब तक लम्बित छात्रवृत्ति के मामलों में छात्रवृत्ति वितरण नहीं करने का क्या कारण हैं तथा इन मामलों में भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

भवदीय

(हस्ताक्षर)
सहायक निदेशक (शिक्षा)

संलग्न: संलग्न निर्धारित प्रारूप।

D:\MyDocs\scheme's\s.dev\s\v(23(1574).doc

बिन्दु संख्या 1 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'अ' (सभी जिलों के लिए)

नाम योजना	वितरित की गई राशि वर्षवार							
	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
	लाभान्वितों की संख्या	राशि	लाभान्वितों की संख्या	राशि	लाभान्वितों की संख्या	राशि	लाभान्वितों की संख्या	राशि
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना								
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना								
अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना								
अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना								
अस्वच्छ कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति								
अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना								
अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना								
अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृति								

बिन्दु संख्या 2 के प्रतित्तर हेतु प्रारूप 'ब' (करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, दोसा एवं जयपुर जिले हेतु, उक्त बिन्दु के प्रतिउत्तर में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए दी गई छात्रवृति की सूचना दी जानी है।)

नाम योजना	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि	संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि	संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि	संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृति												
अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना												

बिन्दु संख्या 3 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'स' (करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, दोसा जिले हेतु, उक्त बिन्दु के प्रतिउत्तर में संस्थावार दी गई छात्रवृति की सूचना दी जानी है।)

नाम योजना	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	दी गई छात्रवृति की राशि
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति												
अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना												
अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृति												

बिन्दु संख्या 4 के प्रतिउत्तर हेतु प्रारूप 'द' (करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा जिले हेतु, उक्त बिन्दु के प्रतिउत्तर में संस्थावार लम्बित छात्रवृति की सूचना दी जानी है।)

नाम योजना	2006-07				2007-08				2008-09				2009-10			
	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्रवृति जिसकी लम्बित है उस छात्र/छात्रा का नाम	लम्बित छात्रवृति की राशि	बकाया का कारण	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्रवृति जिसकी लम्बित है उस छात्र/छात्रा का नाम	लम्बित छात्रवृति की राशि	बकाया का कारण	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्रवृति जिसकी लम्बित है उस छात्र/छात्रा का नाम	लम्बित छात्रवृति की राशि	बकाया का कारण	महाविद्यालय/ विद्यालय/ संस्थान का नाम	छात्रवृति जिसकी लम्बित है उस छात्र/छात्रा का नाम	लम्बित छात्रवृति की राशि	बकाया का कारण
अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना																
अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना																
अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना																
अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना																
अस्वच्छ कार्यो में लिप्त परिवारों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति																
अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना																
अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना																
अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृति																